वार्ड सभा

(राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 3)

वार्ड सभा और उसकी बैठके :

(1) पंचायत के, धारा 12 की उप–धारा (2) के उपबंधो के अनुसार यथा अवधारित, प्रत्येक वार्ड में एक वार्ड सभा होगी, जिसमें किसी पंचायत सर्किल के वार्ड के सभी वयस्क व्यक्ति होगे।

(2) वार्ड सभा की प्रति वर्ष कम से कम दो बैठके होगी अर्थात वित्तीय वर्ष की प्रत्येक छमाही में एक।

गणपूर्ति :

वार्ड सभा की किसी बैठक के लिए गणपूर्ति सदस्यों की कुल संख्या के दशांश से होगी, जिनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछडे वर्ग और महिला सदस्य उनकी जनसंख्या के अनुपात में होगे।

वार्ड सभा के कृत्य :

वार्ड सभा निम्नलिखित कृत्य करेगी–

- विकास योजनाएं बनाने के लिये अपेक्षित ब्यौरों के संग्रह और सकंलन में पंचायत की सहायता करना।
- वार्ड सभा के क्षेत्र में क्रियान्वित की जाने वाली विकास स्कीमों और कार्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार करना और उनकी पूर्विकता तय करना।
- वार्ड सभा के क्षेत्र से संबंधित विकास स्कीमों के क्रियान्वयन के लिये हिताधिकारियों की पूर्विकता क्रम में पहचान करना।
- विकास स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना।
- लोक उपयोगिताओं, सुख–सुविधाओं और ऐसी सेवाओं जैसे मार्गो में प्रकाश, पानी के सामुदायिक नल, सार्वजनिक कुएं, सार्वजनिक सफाई इकाइयां, सिंचाई सुविधाए आदि के लिये स्थान का सुझाव देना।
- लोक हित के विषयों जैसे स्वच्छता पर्यावतरण का परिरक्षण, प्रदूषण का निवारण, सामाजिक बुराइयों से बचाव आदि के बारे में स्कीमें बनाना और जागरूकता लाना।
- लोगो के विभिन्न समूहों में सौहार्द और एकता को बढाना।
- सरकार से विभिन्न प्रकार की कल्याणकारी सहायता जैसे पेंशन और सहायिकी प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पात्रता को सत्यापित करना।
- वार्ड सभा के क्षेत्र में किये जाने के लिये प्रस्तावित संकर्मो के ब्यौरेवार प्रक्कलनों के बारे में सूचना प्राप्त करना, वार्ड सभा के क्षेत्र में क्रियान्वित किये गये संकर्मो की सामाजिक संपरीक्षा करना और ऐसे संकर्मो के लिये उपयोजन और पूर्णता प्रमाण पत्र प्रदान करना।
- संबंधित अधिकारियों से उस वार्ड सभा क्षेत्र में ऐसी सेवाओं के बारे में जो वे उपलब्ध करायेगें और ऐसे कार्यो के बारे मं जिन्हें करने का उनका प्रस्ताव है, सूचना प्राप्त करना।
- उस क्षेत्र में माता–पिता और अध्यापक संगमो के क्रियाकलापो में सहायता करना।
- साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाल विकास और पोषण को प्रोत्साहित करना।
- सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्यकारियों पर नियंत्रण रखना, और
- ऐसे अन्य कार्य जो समय समय पर विहित किये जावें।